भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

465

समक्ष माननीय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू महोदय, ग्वालियर (म.प्र.)

रिवीजन क्र...........

नवीन प्रकरण/2735/2013

2735-I/13

01. विनय कुमार पिता औंकारलाल मेहता,
निवासीः स्कीम नं. 01, गाँधी वाटिका,
के सामने, म.नं. 17, नीमच

02. श्रीमती रमीला पति स्व. जयसिंह मेहता,
निवासीः गाँधी वाटिका के सामने, नीमच

.....आवेदकगण

दिनांक 15-7-13 को श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अभि० द्वारा प्रस्तुत। 15-7-13 R.S.O.

विरूद्ध

01. मनोहरलाल पिता भेरूलाल जी आंजना,
निवासीः ग्राम केसुन्दा, तह. छोटी सादड़ी (राज.)

02. उदयलाल आंजना पिता भेरूलाल जी आंजना,
निवासीः ग्राम केसुन्दा, तह. छोटी सादड़ी (राज.)

03. म.प्र.राज्य

....अनावेदकगण

रिवीजन अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959

श्रीमान् अतिरिक्त कलेक्टर महोदय, नीमच, जिला नीमच (म.प्र.) द्वारा राजस्व अपील क्र. 41/अपील/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 04.06.13 के विरूद्ध रिवीजन

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह रिवीजन निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

रिवीजन के तथ्य :

01. यह कि अनावेदक क्र. 01 व 02 द्वारा फर्म आंजना कन्स्ट्रक्शन की ओर से कॉलोनी की स्वीकृति एवं कृषि भूमि का डायवर्सन चाहा गया था जिस पर आवेदकगण की ओर से आपत्ति की गई थी । श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय, नीमच द्वारा आवेदकगण की वह आपत्ति दिनांक 30.03.2013 को निरस्त की गई थी और उनके द्वारा यह आदेश प्रकरण क्र. 17/अ-02/2012-13 में पारित किया गया था और उस आदेश से असंतुष्ट होकर आवेदकगण द्वारा श्रीमान् कलेक्टर महोदय, नीमच के समक्ष अपील क्र. 41/अपील/2012-13 प्रस्तुत की गई थी ।

D. Chaturvedi 15/7/13

Vinay

Ramila

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2735-एक/13 **जिला - नीमच**

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25-5-19 को आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	